अशीम कुमार घोष हरियाणा के राज्यपाल नियुक्त

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रपति ने प्रोफेसर अशीम कुमार घोष को **हरियाणा का नया** राज्यपाल नियुक्त किया। इसके अतिरिक्त पुसापति अशोक गजपति राजू को **गोवा का राज्यपाल** और कवींद्र गुप्ता को लद्दाख का उपराज्यपाल भी नियुक्त किया गया।

मुख्य बिंदु

राज्यपाल के संवैधानिक कार्य:

- **राज्यपाल** राज्य के **मुख्य कार्यकारी प्रमुख** के रूप में कार्य करता है। वह **नाममात्र प्राधिकारी** के रूप में तथा केंद्र सरकार के **एजेंट** के रूप में भी कार्य करता है।
  - **अनुच्छेद 154** के अनुसार, राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य **राज्यपाल के नाम से** किये जाते हैं और **अनुच्छेद 166** के तहत, राज्यपाल द्वारा **व्यवसाय के लेन-देन के नियम** तैयार किये जाते हैं।
  - इसके अतिरिक्त, राज्यपाल मुख्यमंत्री और उनकी सलाह पर मंत्रिपरिषद **की नियुक्ति** करता है।
- **विधायी भूमिका और विधेयकों पर स्वीकृति:** राज्य विधानमंडल और संघ के बीच संवैधानिक कड़ी के रूप में, राज्यपाल **अनुच्छेद 174 के तहत राज्य** विधानसभा **को आहूत करता है, स्थगित करता है और भंग करता है**।
  - किसी **विधेयक को कानून** बनने के लिये **राज्यपाल की स्वीकृति** प्राप्त करनी होती है, जैसा कि संघ स्तर पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होती है या इसे **अनुच्छेद 200** के तहत राष्ट्रपति के विचार हेतु **आरक्षित** किया जा सकता है।
  - **राज्य के वित्तीय शासन** में राज्यपाल की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है, क्योंकि **अनुच्छेद 207** के तहत **उनकी सिफारिश** के बिना विधानसभा में कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
    - वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि राज्य की **वित्तीय व्यवस्था**, संवैधानिक तथा राजकोषीय ज़िम्मेदारियों के अनुरूप हो।

त्रिशंकु विधानसभाओं में विवेकाधीन शक्तियाँ और भूमिका:

- राज्यपाल कुछ स्थितियों में विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हैं, जैसे **अनुच्छेद 356 के तहत** राष्ट्रपति शासन **की सिफारिश करना** या त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित करना।
- वे **उन मामलों पर भी निर्णय लेते हैं जहाँ संविधान उन्हें** मंत्रिपरिषद की सलाह से स्वतंत्र होकर विवेकाधिकार प्रदान करता है।

नियुक्तियों और प्रशासन में भूमिका:

- राज्यपाल **अनुच्छेद 165 और 316** के तहत महाधिवक्ता तथा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों **सहित प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं।**
  - वे **राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों** की नियुक्ति भी करते हैं, जो हाल के वर्षों में एक **विवादास्पद मुद्दा** रहा है।
  - यह कार्य **राज्य के सुचारू प्रशासन** को सुनिश्चित करता है, परंतु इसे **राज्य सरकार के परामर्श** से किया जाना चाहिये।

राष्ट्रपति शासन लागू करने में भूमिका:

- **अनुच्छेद 356** के तहत, यदि राज्यपाल का मानना है कि किसी राज्य में **संवैधानिक तंत्र विफल** हो गया है, तो वे **राष्ट्रपति शासन** की सिफारिश कर सकते हैं।

न्यायिक शक्तियाँ

- राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिसके तहत वे **राज्य के कानूनों के विरुद्ध अपराधों के लिये** क्षमादान**, विलंबन, राहत या सज़ा में छूट** दे सकते हैं।
  - हालाँकि, **राष्ट्रपति** के समान अधिकारों की तुलना में राज्यपाल की यह शक्ति सीमित है, क्योंकि वे मृत्युदंड अथवा **कोर्ट मार्शल** से

संबंधित मामलों में क्षमादान नहीं दे सकते।

अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय कल्याण हेतु विशेष ज़िम्मेदारियाँ:

- **असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिज़ोरम** जैसे राज्यों में राज्यपाल को **अनुसूचित क्षेत्रों** पर विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं।
  - इन राज्यों का प्रशासन संविधान की **छठी अनुसूची** के अंतर्गत **स्वायत्त ज़िलों** के रूप में किया जाता है।
  - राज्यपाल **स्वदेशी अधिकारों की रक्षा** तथा **कल्याणकारी नीतियों को बढ़ावा** देने के लिये **जनजातीय प्रशासन** में हस्तक्षेप कर सकते हैं।

हरियाणा के राज्यपाल

हरियाणा के राज्यपाल	कार्यकाल
धर्मवीर	1 नवंबर 1966 - 14 सितंबर 1967
बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती	15 सितंबर 1967 - 26 मार्च 1976
न्यायमूर्ति रणजीत सिंह नरूला	27 मार्च 1976 -13 अगस्त 1976
जय सुखलाल हाथी	14 अगस्त 1976 - 23 सितंबर 1977
सरदार हरचरण सिंह बराड़	24 सितंबर 1977 – 9 दिसंबर 1979
न्यायमूर्ति सुरजीत सिंह संधावालिया	10 दिसंबर 1979 – 27 फरवरी 1980
गणपतराव देवजी तपासे	28 फरवरी 1980 – 13 जून 1984
सैयद मुज़फ्फर हुसैन बर्नी	14 जून 1984 – 21 फरवरी 1988
हरि आनंद बरारी	22 फरवरी 1988 – 6 फरवरी 1990
धनिक लाल मंडल	7 फरवरी 1990 – 13 जून 1995
महावीर प्रसाद	14 जून 1995 – 18 जून 2000
बाबू परमानंद	19 जून 2000 - 1 जुलाई 2004
ओम प्रकाश वर्मा	2 जुलाई 2004 - 7 जुलाई 2004
डॉ. अखलाक-उर-रहमान किदवई	7 जुलाई, 2004 - 27 जुलाई, 2009
श्री जगन्नाथ पहाड़िया	27 जुलाई, 2009 - 26 जुलाई, 2014
कप्तान सिंह सोलंकी	27 जुलाई, 2014 - 24 अगस्त 2018
सत्यदेव नारायण आर्य	25 अगस्त, 2018 - 07 जुलाई 2021
बंडारू दत्तात्रेय	7 जुलाई 2021 - जुलाई 2025
अशीम कुमार घोष	जुलाई 2025 - वर्तमान

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/ashim-kumar-ghosh-appointed-governor-of-haryana